FIRST INFORMATION REPORT

6333 First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at P.S.

1. Dist. Purulia Sub-Divn. Jhalda P.S. Jhalda Year 2021 FIR No. 182/2021 Date 23.11.21
2. (i) Act IPC Sections 498A/302/201/120B (ii) Act " Sections "
(iii) Act " Sections " (iv) Other acts & Sections 4 of D.P. Act 1961
3. a) General Diary Reference : Entry No. 922 Time 13.35 hrs.
b) Occurrence of Offence : Day after the marriage & wednesday Date 3.11.2021 Time not noted.
c) Information received Date 23.11.2021 Time 13.35 hrs. G.D. No. 922 at the P.S.
4. Type of Information : Written / ~~Oral~~ typed
5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S. 2.5 K.M / North west from PS b PO
b) Address In the pond of vill- Pat Jhalda, PS- Jhalda, Dist- Purulia Beat No. Anchal - Jhalda Dande, JLNo 132
c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S. .... District ....
6. Complainant / Informant :
a) Name Birendra Kumar
b) Father's / ~~Husband's~~ Name Late Debnarayan Sahu
c) Date / Year of birth 54 yrs. d) Nationality Indian
e) Address vill- Korambo, PS- Gola, Dist- Ramgarh, Jharkhand State
7. Details of known/suspected /unknown/accused with full particulars
(Attach separate sheet, if necessary) :
1. Anil Saw s/o Rahamu Saw 2. Nirmala Saw w/o Saktipada Saw 3. Saktipada Saw s/o Rahamu Saw 4. Santosh Saw s/o Not Known all of vill- Patjhalda, PS- Jhalda, Dist- Purulia. 5. Manoranjan Kumar s/o not Known 6. Biswasumar Saw s/o not known (Both 5 & 6) of Hedbarga, PS- Gola, Dist- Ramgarh 7. Ramratan Saw s/o Lat. Buddhu Saw 8. Hariharprasad s/o Ramratan Saw (Both 7 & 8) of vill- Korambo, PS- Gola, Dist Ramgarh 9. Nirmal Saw s/o not known
8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant ~~Not~~ noted in the Complainant
9. Particulars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required) : Does not arise
10. Total value of properties stolen/involved Does not arise
11. Inquest report/U.D. Case No., if any : Jhalda PS U.D Case No. 32/21 dtd 3/11/2021
12. FIR Contents : (Attach separate sheet, if required)
The original typed complaint of the Complainant which is treated as FIR is reproduced on the overleaf
13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498A/302/201/120B of the IPC and read with section 4 of Dowry Prohibition Act 1961
registered the case and took up the investigation/directed SI Sujit Das to take up the investigation/transferred to P.S. .... on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/informant free of cost.

[signature] 23.11.2021
Inspector in-charge
Jhalda Police Station

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with

Name SK ISMAIL ALI

Rank Sub- Inspector of Police

Number if any Jhalda PS

बीरेन्द्र कुमार 23/11/2021

Signature / ~~Thumb impression~~ of the Complainant/~~informant~~

दिनाक - 23 नवंबर 2021

सेवा में,

श्रीमान ऑफिसर इन-चार्ज(OIC)

थाना -झालदा,

जिला - पुरुलिया,

पश्चिम बंगाल।

विषय - दहेज व् मायके के अपने हिस्से की पैतृक भू-संपत्ति का विक्री कर पैसा लाकर नहीं देने पर,शारीरक व मानसिकप्रताड़ना करते हुए निर्मम हत्याकर देने के सम्बन्ध मे सूचना।

संदर्भ -UD CaseNo.- 32/2021 Dtd. 03/11/2021, थाना- झालदा,जिला- पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में, मैं बीरेन्द्र कुमार(54 वर्ष), पिता स्व. देव नारायण साहू, निवासी ग्राम कोराम्बे थाना गोला जिला रामगढ़, झारखंड यह सूचित करता हूँ कि मेरी बहन कमलनयन की शादी 30 जून 1998 ई. को अनिल साव पिता रहनु साव,निवासी पाटझालदा, थाना झालदा जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में हुआ था। शादी के उपरांत मृतक श्रीमती कमलनयन अपने ससुराल पाटझालदा गई। पति अनिल साव का अवैध सम्बन्ध अपनी भाभी निर्मला साव के साथ था। इस नाजायज रिश्ते के विरुद्ध कमलनयन विरोध प्रकट करती तो पति और जेठानी(निर्मला),यहां तक कि शक्तिपद साव भी कमलनयन के साथ मार-पीट करता, खाना-पीना बंद कर देता था। शादी के बाद गौनामें विदाई हेतु पिताजी कमलनयन को ससुराल से उसे मायके कोराम्बे वापस लेकर आये। गौना कराकर वापस ससुराल लेकर जाने के वक्त शक्तिपद और अनिल साव एक लाख रुपये का डिमांड किये लेकिन हमारे पिताजी पैसा देने में असमर्थता जाहिर किये। उपहार स्वरुप हमारे पिताजी अपनी पुत्री कमलनयन की परिस्थिति को जानते व् देखते हुए और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमलनयन को 50 हजार रुपए नकद देकर विदा किये।

2. गौना के उपरांत भी कमलनयन सुखी नहीं रही। जो पैसा लेकर गई थी वह सब रुपये के साथ-साथ गहना और उपहार में जो सामान मिला था सारा का सारा, शक्तिपद साव उससे लेकर अपने पास रख लिया और काफी मार-पीट कर कमलनयन को उसके मायके कोराम्बे जबरन पहुंचा दिए। तभी से कमलनयन स्वयं कोराम्बे और पाटझाल्दा आती जाती रहती थी परन्तु कभी भी वह अपने पति के साथ दांपत्य सुख प्राप्त नहीं कर पायी। कुछ दिनों बाद फिर से मायके से रुपये लाने को तीनों प्रताड़ित करने लगे।

3. हमारे पिताजी देव नारायण साहु के देहांत(2015) के बाद से मनोरंजन निरंतरकमलनयन को, उसके भविष्य को सुरक्षित रखने और अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत करने के लिएपैतृक भू-संपत्ति के उसके हिस्से के जमीन को बिक्री करने का सलाह और बाद मे दबाव देने लगा। दूसरी तरफ पति अनिल साव कमलनयन को अपने हिस्से की पैतृक(मायकेकी) जमीन मनोरंजन कुमार को बिक्री करने और उसका मूल्य प्राप्त कर उससे प्राप्त रुपये लाकर देने का दबाव बनाता था। लेकिन इसके लिए कमलनयन तैयार नहीं हुई। पिता की मृत्यु के बाद कमलनयन अपने खाने-पीने के खर्च और स्वावलम्बन के लिए बच्चों को ट्यूशन पढाने और बच्चियों को सिलाई सिखाने का कार्य करती रही।

(1)

CS Scanned with CamScanner

4. दिनांक 1 नवम्बर 2021 को पोस्ट ऑफिस का आवर्ती खाता बंद करने पर मिलने वाले रुपये को लेने के लिए कमलनयन पाटझाल्दा गई थी लेकिन पोस्ट मास्टर के पुरुलिया चले जाने के कारण पैसे नहीं मिल पाया अतएव दिनांक 2 नवम्बर 2021 को पुनः रुपये लेने और पति अनिल के साथ ही हमेशा रहने के लिए पाटझालदा चली गई। परन्तु बार-बार प्रयास के बावजूद कमलनयन के साथ मेरा सम्पर्क नहीं हो पाया। मैंने अनिल साव से संपर्क किया तो पहुँचने के बारे में न बताकर, वह एक ही बात बोलता रहा कि बगैर पंचायत के घर में घुसने नही देगा। मैं कमलनयन के मोबाइल(नं. 7679300365) पर संपर्क का प्रयास किया परन्तु बंद था।

5. कमलनयन 02 नवंबर 2021 के सुबह में अपने मायके कोराम्बे से प्रस्थान करके, दोपहर में पाटझालदा स्थित अपने ससुराल पहुँची, जैसा कि 4 नवंबर 2021 को मनोरंजन कुमार पुरुलिया मे मिलने पर बताया। अनिल साव को फोन मे पुछने पर कमलनयन के पहुँचने के बारे मे कुछ नहीं बताया और पाँच-पाँच लोगों के पंचायत करने की रट लगाता रहा। किन्तु कमलनयन के वहां पहुँचने के बाद अनिल साव, उसका बड़ा भाई शक्तिपद साव दोनों पुत्र स्व. रहनु साव एवं निर्मला साव पति शक्तिपद साव सभी निवासी पाटझालदा व झालदा, थाना झालदा जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, कमलनयन को निर्मम तरीके से दहेज़ के रुपये, उसके दैनिक खाने-पीने के खर्चों एवं मायके के उसके हिस्से की भू-संपत्ति को बेचकर रुपये उन्हें नहीं लाकर देने पर उसकी हत्या कर दी, जिसकी जानकारी हमलोगों को 3 नवंबर 2021 को मिली।

6. हमारे पैतृक सम्पूर्ण भू-संपत्ति, घर-मकान, खेत-खलिहान, ऊपज के कमलनयन के हिस्से(संतानहीन होने के कारण) और हमारे पिता स्व. देव नारायण साहु के पेंसन के सम्पूर्ण रकम, चल-अचल सम्पति इत्यादि, उनके देहांत(दिसंबर 2015) के बाद हड़पने के नियत से हमारा सौतेला भाई मनोरंजन कुमार के साथ-साथ उसका मामा विसेशर साव, निवासी हेठ बरगा, थाना गोला, जिला रामगढ, झारखंड और हमारे ही गोतिया के रामरतन साव पिता स्व. बुझु साव व हरिहर प्रसाद पिता रामरतन साव सभी निवासी ग्राम कोराम्बे, थाना गोला, जिला रामगढ, झारखंड और अनिल का चचेरा भाई संतोष साव, निवासी पाटझालदा, थाना झालदा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल भी इस साजिस में शामिल हैं।

7. अगले दिन 03 नवंबर 2021 को मैं कई बार अनिल साव को फोन किया किन्तु उसने कुछ नहीं बताया और बार-बार फोन काट दिया। लगभग पौने नौ बजे उसने मुझे फोन किया किन्तु स्पष्ट कुछ भी नहीं बोल रहा था। मेरे द्वारा कमलनयन से बात कराने के बात पर उसने कहा कि वह मर गई। इसके बाद अनिल साव से कोई संपर्क नहीं हुई व कोई जानकारी भी नहीं मिली। बाद में मेरे पास झालदा थाना से फोन आया और लाश के पोस्टमार्टम से संबंधित बात फ़ोन पर हुई। मेरे पहुंच पाने का समय पूछा गया। मैं उनको बताया कि मैं झालदा देर रात या अगले दिन सुबह तक ही पहुंच पाऊंगा। इसपर उन्होंने कहा कि इतनी देर लाश थाना में नहीं रख सकते। इसपर मैंने उनसे कहा कि मेरे दो बहनोई(सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं राकेश कुमार) बोकारो से जल्द ही झालदा थाना पहुंच जाएंगे। यह बात कि कमलनयन की हत्या उनके ससुराल वालों ने कर दी है और लाश थाना में है, मैं अपने दोनों बहनोई(सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं राकेश कुमार) बोकारो को बताया और कहा कि जल्दी-से-जल्दी आपलोग झालदा थाना पहुँचिए। क्योंकि नहीं पहुँचने पर शक्तिपद साव लाश को बिना पोस्टमार्टम के ही जला देने का प्रयास करेगा। उनके पहुंचने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिये पुरुलिया भेज दिया गया।

8. दिनांक 04 नवम्बर 2021, शाम में पोस्टमार्टम के बाद प्राप्त मृत शरीर को शक्तिपद साव पुरुलिया अस्पताल से सीधा झालदा श्मशान घाट पर ले जाकर जल्दी से जला देना चाहता था पर सामाजिक दबाव में ससुराल वाले घर से अंतिम विदाई हुई और झालदा के नदी किनारे रात मे दाह-संस्कार किया गया।

9. सितंबर, 2021 माह के पहले सप्ताह मे अनिल साव अपने चचेरे भाई व दोस्त संतोष साव के साथ कोराम्बे आकर दोनों ने कमलनयन को रामरतन साव (कोराम्बे) के घर में भी प्रताडित किया था। कमलनयन के बार-बार मना करने के बाद भी दुबारा अनिल का चचेरा भाई संतोष अपनी पत्नी (जो मनोरंजन की रिश्तेदार है) के साथ आकर अनिल के इशारे पर प्रताड़ित करने के लिए आया था।

10. मायके के अपने हिस्से की जमीन उनके दामाद हरिहर को बेचकर रुपये ससुराल लेकर आए इसलिए, निर्मल साव(हरिहर का ससुर), पिता का नाम नहीं मालूम, ग्राम+पोस्ट बरजोपुर, थाना झालदा, जिला पुरुलिया) भी कुछ दिन पूर्व कमलनयन को दबाव देकर समझाने के लिए आए थे। ताकि ससुराल वाले उसे झालदा के नए घर में दो कमरे अनिल-कमलनयन(पति-पत्नी) को जीवनभर साथ-साथ रहकर, जीवन-यापन करने के लिए देंगे।

11. बाद में, कमलनयन मार-पीट व प्रताड़ित करने, उसके जान को खतरा रहने के कारण पाटझलदा से कोराम्बे आने-जाने की सूचना व खतरों इत्यादि की जानकारी स्थानीय झालदा थाना व पुरुलिया एसपी ऑफिस को भी लिखकर दी थी जिसकी प्रति वह अपने कमरे मे छुपाकर रखती थी। हमारे पास उसका रेकॉर्ड नहीं है। उसके कमरे के सारे कागजात और सामान शक्तिपद ने अपने कब्जे में रख लिया है।

अन्य व् अतिरिक्त तथ्यगत सुचना एवं जानकारियां पता चलते ही उपलब्ध कराऊंगा।

उपरोक्त घटनाक्रम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी मंशा पूरी नहीं होने पर उपरोक्त व्यक्ति अनिल साव, शक्तिपद साव और निर्मला साव ने मनोरंजन कुमार और संतोष साव के साथ मिलकर गुप्त रूप से साजिस करके कमलनयन की निर्मम हत्या कर दी।

अतः आपसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र उपरोक्त लोगों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाय ताकि कमलनयन की आत्मा को न्याय और शांति मिल सके।

Received on 23.11.2021 at 13.35 hrs and started Jhalda PS Case No 183/2021 dtd 23.11.21 u/s 498A/302/201/120B of the IPC and read with section 4 of Dowry Prohibition Act 1961 and endorsed to SI Sujit Das for its investigation

23.11.2021
Inspector in-charge
P.S-Jhalda, Purulia

आपका विश्वासी,

बीरेन्द्र कुमार 23/11/2021
(बीरेन्द्र कुमार)
पिता स्व. देव नारायण साहु
ग्राम-पो - कोराम्बे
थाना - गोला, जिला - रामगढ, झारखंड।

मेरी बेटी एवं मेरा स्वयं के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण से आवेदन देने में विलम्ब हुआ है। यह आवेदन मेरे स्वयं के द्वारा टाइप किया गया है।

– बीरेन्द्र कुमार
23/11/2021

Mobile No- 9431923190